

याद रहें | ..याद रहें | ..याद रहें |

जीवन प्रमाणपत्र ...

नवम्बर माह में भरें | ...

(पेशन के लिए)

(बैंक अथवा आनलाईन के माध्यम से भरें |)



छ.ग. राज्य

शासन द्वारा

प्रदत्त सुविधायें

राज्य सरकार द्वारा प्रदत्त सुविधायेः—

सेवारत सैनिकों/भूतपूर्व सैनिकों, उनके विधवाओं एवं आश्रितों के लिए कल्याणकारी योजना

राज्य सरकार द्वारा प्रदत्त सुविधायें:-

सम्मान निधि

(जंगी ईनाम)

- ❖ सेना में भर्ती के लिए प्रोत्साहन हेतु एसे माता / पिता जिनके एक मात्र पुत्र / संतान या सभी पुत्र / संतान सैन्य सेवा में होने पर उन्हें रु **5000/-** प्रति वर्ष प्रोत्साहन राशि प्रदान किया जाता है।



शैक्षणिक आरक्षण

- मेडिकल कालेज – 3 फीसदी
 - इंजीनियरिंग कालेज – 3 फीसदी
 - पॉलीटेक्निक – 5 फीसदी
 - एम.एड. / बी.एड. – 2 फीसदी
 - एग्रीकलचर – 2 फीसदी
 - आई.टी.आई. – 5 सीट
 - डेंटल कालेज – 1 सीट



राज्य सरकार द्वारा प्रदत्त सुविधायें:-

शौर्य पदक विजेताओं को अनुदान

शौर्य पदक के नाम	अनुदान राशि तथा भूमि के एवज में दी जाने वाली एक मुश्त राशि
❖ परम वीर चक्र	40,00,000/-
❖ महावीर चक्र	24,000,00/-
❖ वीर चक्र	16,00,000./-
❖ अशोक चक्र	40,00,000/-
❖ कीर्ति चक्र	24,000.00/-
❖ शौर्य चक्र	16,00,000/-
❖ सर्वोत्तम युद्ध सेवा मेडल	2,90,000/-
❖ उत्तम युद्ध सेवा मेडल	2,80,000./-
❖ युद्ध सेवा मेडल	1,60,000/-
❖ सेना / नौ सेना / वायु सेना मेडल (वीरता) (केवल शौर्य)	1,00,000/-
❖ मैंसन्ड -इन - डिस्पैचेस	24,000/-

राज्य सरकार द्वारा प्रदत्त सुविधायें:-

समस्त द्वितीय विश्व युद्ध के पूर्व सैनिकों एवं उनके विधवाओं को अनुदान राशि



(छ.ग.राज्य के निवासरत द्वितीय विश्व युद्ध के पूर्व सैनिक एवं
उनके विधवाओं को छ.ग. शासन द्वारा अनुदान राशि)

प्रति
9,000 प्रति माह



**केन्द्रशासन द्वारा
प्रदत्त सुविधायें**

केन्द्र सरकार द्वारा प्रदत्त सुविधायें:-

प्रधानमंत्री छात्रवृत्ति योजना

- पूर्व सैनिक के बच्चों को जो बारहवीं कक्षा में 60 फीसदी से अधिक अंक अर्जित कर व्यावसायिक डिग्री शिक्षा प्राप्त करते हैं उन्हें प्रधान मंत्री कोष से मासिक छात्रवृत्ति छात्रों को ₹ 2500/- तथा छात्राओं को ₹ 3000/- प्रतिमाह प्रदान किया जाता है



रक्षामंत्री विवेकाधिन निधि से प्राप्त होने वाली आर्थिक सहायता

पेनुरी अनुदान (अपेंशनर को देय)

65 वर्ष से अधिक
(नान अपेंशनर हवलदार रैंक तक) —

रु. 4,000/- प्रतिमाह



रक्षामंत्री विवेकाधिन निधि से प्राप्त होने वाली आर्थिक सहायता

चिकित्सा अनुदान

केवल (हवलदार रैक तक) नान
पेशनर / भूपूसै / विधवाओं

प्रतिवर्ष – रु. 50,000 / अधिकतम



रक्षामंत्री विवेकाधिन निधि से प्राप्त होने वाली आर्थिक सहायता :-

पुत्री विवाह /

विधवा पुर्न-विवाह हेतु

अनुदान

❖ हवलदार रैंक तक के

पेंशनर / अपेंशनर – **₹. 50,000/-**



(केवल दो पुत्री)



अनाथ बच्चे को अनुदान

(क) भूतपूर्व सैनिक की अविवाहित पुत्रों

— रु. 3,000/- प्रतिमाह

(ख) भूतपूर्व सैनिक के एक पुत्र को 21 वर्ष के आयु तक

— रु. 3,000/- प्रतिमाह



रक्षामंत्री विवेकाधिन निधि से प्राप्त होने वाली आर्थिक सहायता :-



छात्रवृत्ती अनुदान

हवलदार रैंक तक के भू.पू. सैनिक

- (क) पुत्र / पुत्री (स्नातक तक) — ₹ 1000 /-
- (ख) विधावाओं को पोस्ट ग्रेजुएशन हेतु — ₹ 1000 /-



रक्षामंत्री विवेकाधिन निधि से प्राप्त होने वाली आर्थिक सहायता :-

विधवाओं को व्यावसायिक

प्रशिक्षण हेतु अनुदान

- हवलदार रैंक तक के पेंशनर/अपेंशनर हेतु
 - ₹. 50,000/- (केवल एक बार देय)



रक्षामंत्री विवेकाधिन निधि से प्राप्त होने वाली आर्थिक सहायता :-

भू.पू. सैनिक के 100% विकलांग बच्चे को वित्तीय सहायता

► हवलदार रैक तक के भू.पू. सैनिक
— ₹. 3,000/- प्रतिमाह



रक्षामंत्री विवेकाधिन निधि से प्राप्त होने वाली आर्थिक सहायता :-

भू.पू. सैनिक विधवाओं की गंभीर बीमारियों के इलाज के लिए वित्तीय सहायता

➤ सभी रैक / नान पेशनर —

रु 75000/-प्रतिवर्ष

रु1,50,000/-एक मुश्त अधिकतम

रक्षामंत्री विवेकाधिन निधि से प्राप्त होने वाली आर्थिक सहायता :-

दिव्यांग भू.पू. सैनिक को गतिशीलता उपकरण

खरीदने के लिए

➤ सभी रैक - ₹ 1,00,000 /—प्रति भू.पू. सैनिक



रक्षामंत्री विवेकाधिन निधि से प्राप्त होने वाली आर्थिक सहायता :-

होम लोन पर 50% ब्याज की प्रतिपूर्ति

➤ सभी रैंक — ₹ 1,00,000/- अधिकतम




केवल युद्ध शहीदों / युद्ध विकलांग

समानेलित विशेष निधि (ASF)
द्वारा प्रदत्त सुविधाये

पुत्रो विवाह शगुन राशि हेतु आर्थिक अनुदान (केवल दो पुत्रियों तक)

- ❖ समस्त भूतपूर्व सैनिक/विधवा/अनाथ पुत्रियों
- समामेलित विशेष निधि से – **5,100 एवं**
- केन्द्रीय सैनिक बोर्ड से – **50,000 /– दिया जाता है।**
- कुल – **55,100 /– राशि देय है।**



समामेलित विशेष निधि (ASF) द्वारा प्रदत्त सुविधायें

भूतपूर्व सैनिक के दाह संस्कार हेतु उनकी पत्नी /पुत्र/पुत्री/ निकटतम संबंधी को आर्थिक सहायता राशि

समस्त भूतपूर्व सैनिक की

विधवा/पुत्र/पुत्रो/निकटतम संबंधी **25,000/-**



(एक मुश्त)

समामेलित विशेष निधि (ASF) द्वारा प्रदत्त सुविधायें

कृत्रिम अंग खरीदने व मरम्मत हेतु

समस्त भूतपूर्व सैनिकों को

आर्थिक सहायता

30,000 /

(एक मुश्त)



भूतपूर्व सैनिक / विधवाओं को चिकित्सा हेतु आर्थिक अनुदान जिनके क्षेत्र में सैन्य अस्पताल / सरकारी अस्पताल की सुविधा न हो एवं जो ई.सी.एच.एस के भी सदस्य न हो



- ❖ समस्त भूतपूर्व सैनिक (जिनकी मासिक आय 10,000/- से कम हो) **30,000/- (एक मुश्त)**

समस्त द्वितीय विश्व युद्ध के नाँन



—पेंशनर / विधवाओं को चिकित्सा हेतु



आर्थिक सहायता



❖ समस्त द्वितीय विश्व युद्ध के नाँन —पेंशनर / विधवाये(जो स्वतंत्रता के पश्चात् भर्ती हुये हो)

10,000 प्रति माह

विधवाओं को सिलाई मशीन खरीदने हेतु

आर्थिक सहायता

- ❖ समस्त भूतपूर्व सैनिक की विधवाओं को जिनके पास मान्यता प्राप्त संस्थान से सिलाई का डिप्लोमा / सर्टिफिकेट हो एवं जिनकी मासिक आय 25,000/- से कम हो

मशीन की वास्तविक मूल्य या 10,000/- जो भी कम हो।






समामेलित विशेष निधि (ASF) द्वारा प्रदत्त सुविधायें

भरण पोषण अनुदान
विशेष रूप से 70 वर्ष की
आयु से अधिक के गरीब
भूतपूर्व सैनिकों /
विधवाओं जो कि अत्यंत
गरीबी में जीवन व्याप्त
कर रहे हों।



जि.सै.क.का. द्वारा भौतिक रूप से सत्यापित किया जाना है।

रुपये 1,00,000/- (एक मुश्त)



© BCCL 2020. ALL RIGHTS RESERVED.

सम्मान निधि

❖ सम्मान निधि

- ❖ 1. 70 वर्ष आयु पूर्ण करने पर
- ❖ 2. 75 वर्ष आयु पूर्ण करने पर
- ❖ 3. 80 वर्ष आयु पूर्ण करने पर
- ❖ 4. 85 वर्ष आयु पूर्ण करने पर
- ❖ 5. 90 वर्ष आयु पूर्ण करने पर
- ❖ 6. 95 वर्ष आयु पूर्ण करने पर
- ❖ 7. 100 वर्ष आयु पूर्ण करने पर

समस्त भूतपूर्व सैनिक
(स्वतंत्रता के पश्चात् भर्ती
हुये हो)

15,000 /–
25,000 /–
30,000 /–
40,000 /–
70,000 /–
80,000 /–
1,00,000 /–

दिव्यांग भू.पू.सै. को अनुरक्षण अनुदान जो कवीन
मैरी तकनीकी संस्था या इसी प्रकार के अन्य
मान्यता प्राप्त संस्थानों में पुनर्वास प्रशिक्षण प्राप्त
कर रहे

- ❖ समस्त भूतपूर्व सैनिक जो पुनर्वास प्रशिक्षण सफलता पूर्वक पूर्ण किये जाने के पश्चात देय **1200/-प्रति माह**

औद्योगिक संस्थान में प्रशिक्षण लेने वाले भू.पू.सै. को मासिक छात्रवृत्ति (केवल हवलदार रैंक तक)

- ❖ समस्त भूतपूर्व सैनिक जो औद्योगिक संस्थान में प्रशिक्षण सफलता पूर्वक पूर्ण किये जाने के पश्चात देय

5000/-प्रति माह

भू.पू.सै. के अनाथ बच्चों को मासिक आर्थिक सहायता

भू.पू.सै. के अनाथ बच्चों
को मासिक आर्थिक
सहायता :-

समस्त भूतपूर्व सैनिकों
के बच्चों के लिए
जिनकी उम्र 21 वर्ष या
विवाह जो भी पहले हो।

25,000/-

वार्षिक प्रत्येक
बच्चे को(दो
बच्चे तक)



लघु व्यवसाय के लिए आर्थिक सहायता जो स्वरोजगार के अन्तर्गत नहीं आते हैं

- ❖ समस्त भूतपूर्व सैनिक / विधवायँ जिनकी मासिक आय रुपय 25,000/- से कम हो। **रुपय 15,000/-** तक केवल एक बार।

एन.डी.ए/आईएमए/ओटीए में प्रशिक्षण प्राप्त
करने वाले भूतपूर्व सैनिकों/ सैन्य विधावाओं के
बच्चे को प्रतिमाह आर्थिक अनुदान

- ❖ समस्त भूतपूर्व सैनिकों/ विधावाओं को
(शतों के साथ)* **10,000/-** प्रतिमाह

सैनिक/मिलेट्री स्कूल मे पढने वाले भूतपूर्व सैनिकों के बच्चों को आर्थिक अनुदान

- ❖ समस्त भूतपूर्व सैनिकों को
(शतांके साथ)* **30,000/-** प्रतिवर्ष

भूतपूर्व सैनिक के बच्चों को एस.एस.बी साक्षात्कार के प्रशिक्षण हेतु आर्थिक अनुदान

- ❖ समस्त भूतपूर्व सैनिकों को
(शर्तों के साथ)* **20,000/-** एक मुश्त

मानसिक रूप से अस्वस्थ / दिव्यांग भूतपूर्व सैनिक एवं सैनिक विधवाओं के बच्चों

की अनुदान:-

मानसिक रूप से अस्वस्थ /
दिव्यांग भूतपूर्व सैनिक एवं
सैनिक विधवाओं के बच्चों को
अनुदान:-

- (अ) पुत्र को 25 वर्ष की उम्र
तक
- (ब) पुत्री को विवाह तक

समस्त भूतपूर्व सैनिकों के
बच्चों के लिए।

- 25% दिव्यांग बच्चों को
- 26% से 50% तक को
- 51% से 75% तक को
- 76% से 100% तक को

निरंक

- 2000/- प्रतिमाह**
- 3000/- प्रतिमाह**
- 6000/- प्रतिमाह**

भूतपूर्व सैनिक/सैन्य विधवा जो शासन द्वारा
मान्याता प्राप्त वृद्धाश्रम में निवासरत है एवं
जिनकी आयु 65 वर्ष से अधिक है को आर्थिक
अनुदान

❖ समस्त भूतपूर्व सैनिकों/विधवाओं को
(शतों के साथ)* **5000/-** प्रतिमाह

भूतपूर्व सैनिक के बच्चे जो राष्ट्रीय स्तर के खेलकूद में भाग लेने एवं मेडल प्राप्त करने पर

भूतपूर्व सैनिक के बच्चे जो राष्ट्रीय स्तर के खेलकूद में भाग लेने एवं मेडल प्राप्त करने पर

- (अ) केवल भाग लेने पर
- (ब) स्वर्ण पदक प्राप्त करने पर
- (स) रजत पदक प्राप्त करने पर
- (द) कांस्य पदक प्राप्त करने पर
- (उपरोक्त खेल में भाग लेने / पदक हेतु केन्द्र या राज्य शासन के खेल विभाग द्वारा प्रमाणित किया होना चाहिये ।

समस्त भूतपूर्व सैनिकों को
(शर्तों के साथ)

खेल विभाग राज्य / केन्द्र द्वारा भाग लेने / मेडल प्राप्त करने का सत्यापन आवश्यक है ।

5,000/-

10,000/-

8,000/-

6,000/-

समामेलित विशेष निधि (ASF) द्वारा प्रदत्त सुविधायें

जायलिसिस और कैसर के इलाज हेतु

समस्त भूतपूर्व सैनिकों को केन्द्रीय सैनिक

बोर्ड /छ.ग/ईसीएचएस द्वारा प्रदान कियं

गये आर्थिक सहायता के अलावा

❖ समस्त भूतपूर्व सैनिकों को

50,000/-प्रति वर्ष

अन्य गंभीर बिमारीयों जैसे (एंजियोप्लास्टि

एंजियोग्राफी, सीएबीजी, ओएच, सर्जरी, वाल्व

रिप्लेसमेंट एवं सेरेब्रल स्टोक) के इलाज हेतु

समस्त भूतपूर्व सैनिकों को केन्द्रीय सैनिक बोर्ड

/छ.ग / ईसीएचएस द्वारा प्रदान किये गये आर्थिक

सहायता के अलावा

❖ समस्त भूतपूर्व सैनिकों को **25,000/-**—प्रति वर्ष

केन्द्रीय सैनिक बोर्ड / राज्य सैनिक बोर्ड
/ थल सेना / वायु सेना / जल सेना /
एडजुटेट जनरल सेरेमोनियल व कल्याण
द्वारा प्रदत्त स्कूटर के मरम्मत हेतु समस्त
दिव्यांग भूतपूर्व सैनिकों को प्रदान किया
जाएगा।

❖ समस्त भूतपूर्व सैनिकों को **5,000/-** प्रति वर्ष

दिव्यांग भूतपूर्व सैनिकों को उनके कृत्रिम अंगों की मरम्मत हेतु समस्त भूतपूर्व सैनिकों को आर्थिक सहायता प्रदान किया जाएगा

❖ समस्त भूतपूर्व सैनिकों को **5,000/-** प्रति वर्ष

दिव्यांग भूतपूर्व सैनिकों को अनुवर्ती आबंटन / मोडिपाइड स्कूटर को बदलने के लिए अनुदान

दिव्यांग भूतपूर्व सैनिकों को
अनुवर्ती आबंटन / मोडिपाइड
स्कूटर को बदलने के लिए
अनुदान

(अ) जो भूपू सैनिक 50% या
अधिक दिव्यांग हो।

(ब) केन्द्रीय सैनिक बोर्ड, नई
दिल्ली से प्राप्त मोडिपाइड
स्कूटर प्रदाय के 10 वर्ष की
अवधि पूर्ण होने के पश्चात
पात्र होगी।

मोडीपाइड स्कूटर
की वास्तविक
मूल्य या
50,000/-

कैसर से पीड़ित भूतपूर्व सैनिक की विधवाओं को अर्थिक सहायता

❖ समस्त भूतपूर्व सैनिकों की विधवाओं को लागू

50,000/- एक मुश्त

वार्षिक छात्रवृत्ति

- ❖ कक्षा 6वीं से 12वीं तक (बी 1 ग्रेड या 71% अधिक अंक प्राप्त होने पर) – प्रतिमाह (केवल दो बच्चों के लिये)
- (अ) पुत्र को
- (ब) पुत्री को

समस्त भूतपूर्व
सैनिकों के बच्चों
जो कम से कम
ग्रेड 1/B अंक
(71%) या अधिक
लाये हो

700/-प्रति वर्ष
900/-प्रति वर्ष

वार्षिक छात्रवृत्ति

❖ स्नातक एवं स्नातकोत्तर एमएड / बी एड / बी.एससी (नर्सिंग) / एस.एससी (नर्सिंग) / डिप्लोमा कोर्स एवं पॉलिटेक्निक – प्रतिमाह (केवल दो बच्चों के लिये) – 60 प्रतिशत या अधिक अंक प्राप्त होने पर समस्त PBOR को लागू (अ) पुत्र को (ब) पुत्री को
--

समस्त भूतपूर्व सैनिकों के
बच्चों जो कम से कम ग्रेड
2/B अंक (60% या अधिक)
लाये हो।)

1000/-प्रति माह
1200/-प्रति माह

वार्षिक छात्रवृत्ति

❖ बीई / एमएस / एमबीबीएस /
बीडीएस / बीव्हीएस / एमबीए /
एमसीए
(केवल दो बच्चों के लिये)

(अ) समस्त Ex Offrs के
बच्चे जो कम से कम
ग्रेड 1/A मार्क्स ((71%
या अधिक लाये हो`))

(ब) समस्त भूतपूर्व
सैनिकों के बच्चे जो
कम से कम ग्रेड 2/B
मार्क्स(60% या अधिक
लाये हो)

**20,000/-
प्रति वर्ष**

समस्त भूतपूर्व सैनिकों को सरल क्रमांक 1,14,15,16,18,एवं19 के अनुसार उन्हें इस आर्थिक अनुदान की पात्रता नहीं होगी जिनकी वार्षिक आय 8,00,000 प्रति वर्ष से अधिक है। उपरोक्त आर्थिक अनुदान प्राप्त करने हेतु नोटरी द्वारा शपथ-फत्र प्रस्तुत करना आवश्यक है।

धन्यवाद

सशस्त्र सेना झंडा दिवस



Account Name : Amalgamated Special Fund for R&R

Account Number : 20246292607

IFSC Code : IDIB000R518

1. यह दिवस देश के समस्त नागरिकों को अपनी सशस्त्र सेना के शौर्य, बलिदान, समर्पण एवं शहादतों को सम्मानित एवं प्रतिष्ठित करने हेतु एक अवसर प्रदान करता है।
2. सशस्त्र सेना के वीर शहीदों, जिन्होंने देश के लिए अपने प्राणों को न्यौछावर कर दिया एवं सेना के शूर वीरों के प्रति आभार व्यक्त करने के लिए सशस्त्र सेना झंडा दिवस पर उदारता पूर्वक दान देकर अपना योगदान दें। इस राशि का उपयोग शहीदों के परिजनों, विकलांग सैनिकों, पूर्व सैनिकों एवं उनके आश्रितों के कल्याण कार्य के लिए किया जाता है।

दान राशि आयकर से मुक्त होगी